फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : भेरूसिंह विपक्षी : गंगा

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 29/12

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.11.19 पत्रावली पेश हुई। अधिक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित है। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 14.11.14 की पालना में असल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जानबुझकर न्यायालय की आदेश की अवहेलना की जा रही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया, प्रकरण के अवलोकन से न्यायालय से दिनांक 14.11.14 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12–14 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार कर वादी को असल दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था जिसे लगभग 5 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक वादी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है इस हेतु पूर्व पेशी दिनांक 26.7.2019 से भी वादी को 500/– पांच सौ रूपया कोस्ट पर असल दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया, उसके बाद भी प्रकरण में दिनांक 30.8.19, 13.9.19, व 20.9.19 की तारिख पेशी दी गई है, लेकिन वादी द्वारा आज तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, वादी द्वारा आज भी दस्तावेज पेश नहीं किया एवं स्वंय भी आज अनुपस्थित रहा है। वादी द्वारा असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी उसकी नकल प्राप्त नहीं कर पा रहा है , इससे प्रतिवादी को अपने जवाब दावा देने मे कठिनाई आ रही है एवं असल दस्तावेज नही होने से जवाब नहीं दे पा रहा है, एवं पत्रावली में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जवाब में ही चली आ रही है। इस हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का भी दिनांक 18.03.2016 जिसकी भी नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई जिस पर हस्ताक्षर कर दिनांक 15.12.17 दिनांक अंकित की है। प्रकरण में लगभग डेढ वर्ष के समय दिया जाने के बावजूद भी वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिस पर आदेशिका दिनांक 14.6.19 से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब का अवसर बन्द किया गया एवं पत्रावली को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के बहस में नियत की गई। तत्पश्चात वादी अधिवक्ता को बहस हेतु दिनांक 21.6.19, 17.7.19, 26.7.19, 30.8.19 एवं 20.9.19 की तारीख पेशीया प्रकरण में प्रार्थना पत्र के बहस हेतु मुर्करर की गई, लेकिन वादी अधिवक्ता द्वारा न तो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर बहस की गई एवं न ही असल	

Scanned by CamScanner

दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 26.7.19 को भी वादी अधिवक्ता को 500/– पांच सौ रूपया कोस्ट पर अंतिम अवसर दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिये दिया गया, उसके पश्चात 3 तारीख पेशी निकल जाने के बाद आज तक असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं आज स्वंय भी अनुपस्थित है। उपरोक्त तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि वादी की शुरू से ही उक्त प्रकरण में रूची नहीं रही है, एवं इतने अवसर देने व कोस्ट पर भी मौका देने के बाद भी असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वादी के पास असल दस्तावेज नहीं है, केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने एव महज प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह दावा पेश करना मालूम होता है, जिसे आगे चलाया जाने पर पक्षकारान एवं न्यायालय दोनो का ही समय व्यर्थ करना है। अतः वादी द्वारा कोई रूची नहीं लेने व न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं हेाता है। अतः सि.पी.सी. के आदेश 11 नियम 21 के तहत वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राज.का.अधिनियम का असल दस्तावेज हेतु पर्याप्त समय दिया जाने पर भी प्रस्तुत नहीं करने पर असल दस्तावेज के अभाव में सि.पी.सी. के आदेश 11 नियम 21 के तहत वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.
मुकदमा नम्बर : 29/12 (वाद)

उनवान

1. श्री भेरूसिंह पिता रणजीतसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह.मावली।
2. श्री किशनसिंह पिता रणजीतसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नी दलीचन्द सोनी निवासी डबोक तह.मावली।
2. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी , पटवार हल्का बोयणा तह.मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 29/2012

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राज.का.अधिनियम का असल दस्तावेज हेतु पर्याप्त समय दिया जाने पर भी प्रस्तुत नहीं करने पर असल दस्तावेज के अभाव में सि.पी.सी. के आदेश 11 नियम 21 के तहत वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.11.2019 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा$_{IAS}$)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: